A 4/7

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 9/2014
निजामुद्दीन पुत्र श्री मदन जाति लीलगर निवासी ग्राम परसरामपुरा तह0 नवलगढ जिला झुन्झुनू राज0।

––अपीलान्ट

बनाम

श्रीमान तहसीलदार तहसील कार्यालय नवलगढ जिला झुन्झुनू राज0।

––रेस्पोडेन्ट

––

अपील अ0 धारा 225 राज0 का अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 04.01.2003 न्यायालय तहसीलदार नवलगढ बमुकदमा उनवानी घासीराम बनाम निजामुदीन मु0न0 7/03 अ0 धारा 183 (बी) राज0 का0 अधिनियम।

––

उपस्थित

1. श्री शब्बीर हुसैन, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से

आदेश

दिनांक 25.01.2021

उक्त विचारक अपील विद्वान तहसीलदार नवलगढ के आदेश दिनांक 04.01.2003 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. दिनांक 18.01. 2021 को बाद सुनवाई स्वीकार किया जा चुका है। [illegible] अपीलान्ट के अनुसार प्रार्थी घासीराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र [illegible] 2000 का टाईपशुदा इस आशय का पेश किया गया की ग्राम परसरामपुरा की सीम में खसरा न0 2768 रकबा 2.47 हे0 स्थित है जिसमें 1/5 हिस्सा हरजीराम का है तथा 2/5 हिस्सा प्रार्थी व प्रार्थी [illegible] मां

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.02 17:09:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A4/2

...स्थली तथा महोरी बेवा सुरजा, कालु, पन्ना, सांवला पुत्रगण सुरजा का है, तथा 1/15 हिस्सा मनकोरी, पीथा, औमप्रकाश नन्दराम व कृष्णा का है तथा 1/15 हिस्सा लिछमण, मांगु व महावीर का है व इसी अनुसार कब्जा काश्त है।नीजामु पुत्र मदन जाति लीलगर निवासी ...पुरा का उपरोक्त जमीन से कोई लेना देना व सम्बन्ध नहीं है परन्तु वह विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी की गरीबी का नाजायज फायदा उठाकर लाठी के जोर पर जबरन प्रार्थी की खातेदारी की जमीन में जबरन पुख्ता निर्माण करने को आमादा है तथा दिनांक 21.05.2002 को निजामुद्दीन ने जबरन पत्थर डालकर 15–20 लोगों को लाकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया प्रार्थी ने जब मना किया तो इन लोगों ने धमकी दी कि मैं जबरन निर्माण कार्य करूगां और लाठी के जोर पर आपकी खातेदारी की जमीन में निर्माण कार्य करूगां। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी तलब की गई एवं रिपोर्ट पटवारी अनुसार अप्रार्थी निजामूदीन को जरिये नोटिस तलब किया गया। आगामी ता0 पेशी 21.06.02, 04.07.02 को नोटिस अदम तामील आये व दिनांक 15.07.02 को नोटिस बाद तामील आना दर्ज कर उसके अनुपस्थित होने पर मौका मुआयना हेतु पत्रावली दिनांक 22.07.02 को नियत की गई तथा दिनांक 13.09.02 को श्रीमान तहसीलदार जी द्वारा मौका मुआयना किया जाना आदेशिका में दर्ज किया गया है जिसमें दर्ज किया गया है कि मकानो की स्थिति को देखते हुए व आस पाडोस से पूछताछ करने पर जाहिर है कि मकान गत 10–15 वर्ष से बनाकर आबाद है। इसका आश्य यह है कि खातेदार की सहमति के बिना मकान बनाकर आबाद नही हुआ है। निजामुदीन मौके पर नही मिला निजामुदीन को नोटिस दिया जाकर तलब किया जावे। दिनांक 30.09.02 को नोटिस अदम तामील आया व दिनाक 16.10.02 को जरिये इस्तगासी तामील हुआ है क्योकि उसकी पत्नि व बच्चों ने नोटिस लेने से इन्कार किया तथा वह स्वयं मौजूद नही मिला। पटवारी से वर्तमान स्थिति की मौका रिपोर्ट मगंवाई जाने का आदेश करवाया गया। दिनाक 19.10.02 को पटवारी हल्का व आई0एल0 आर बसावा के साथ मौका मुआयना किया जाना दर्ज किया तथा मौके पर निजामुदीन नही मिला उसके बच्चे व पत्नि मौजूद मिली पत्नि ने बताया की उक्त भूमि क्रय कर मकानात का निर्माण किया है। मौके पर दो तरफ चार–चार फीट उंचा डंडा (चारदीवारी) तथा दो मकान व एक अधूरी ...हुआ मकान का निर्माण किया है। आगामी ता0 पेशी दिनांक 1.11.02 को रिपोर्ट पटवारी हेतु नियत की गई व दिनाक 15.11.02 को रिपोर्ट पटवारी 7 दिवस में तलब करने व वादी को गवाह पेश करने हेतु पांबद करने हेतु नियत कि गई। दिनाक 3.12.02 को रिपोर्ट पटवारी पेश हुई व वादी एवंम गवहान के ब्यान दर्ज किये गयें। अप्रार्थी को बार बार तलब किया गया जो उपस्थित नही हुआ। अतः अन्तिम अवसर दिया जाकर तलब किया जावे वर्ना उसके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जाकर आ0टी0एक्ट की धारा 183 बी के तहत निर्णय किया जावेगा। दिनांक 16.12.02 को गैरसायल को जारी नोटिस पर तामिल कुनिन्दा ने रिपोर्ट की है कि वह ... नही मिला उसके बच्चो ने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया। नोटिस उसके मकान पर चस्पा किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24.12.02 को ... में आदेश दिनांक 04.01.2003 को पारित किया जाकर निर्णय के अनुसार अप्रार्थी को 15 दिन में विवादित भूमि से कब्जा हटाने का आदेश दिया गया। 15 दिन में कब्जा नहीं हटाने की स्थिति में नियमानुसार उसके विरूद्व थाना पुलिस नवलगढ़ से ... कारवाई जावे। उक्त निर्णय दिनांक 04.01.03 के विरूद्व अपील निम्नलिखित पेश है। अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.02 17:09:54 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार जी नवलगढ का निर्णय दिनांक 04.01.2003 खिलाफ कानून व विरूद्ध पत्रावली है। उपरोक्त भूमि के खातेदार श्रीमती दडकली व उसके पुत्र घासीराम का स्वर्गवास काफी वर्षा पूर्व हो चुका था। इसलिये उसके द्वारा उक्त भूमि की बाबत रिपोर्ट करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। उपोक्त भूमि को खातेदारान द्वार काफी व्यक्तियों का जरिये लिखावट के विक्रय कर कब्जा क्रेतागण का करवा दिया गया था जो मौके पर पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है तथा मौजुदा समय में वहां काश्त की कोई रेवेन्यू भूमि नही है सम्पूर्ण खसरा न0 में घनी आबादी है जो कि रिपोर्ट पटवारी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये मौका निरीक्षण से स्पष्ट है। इसलिये उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर की गई तमाम कार्यवाही गैरकानूनी है। उपरोक्त मुकदमे में अप्रार्थी को कोई बाद तामील नही आया है अर्थात कोई तामील नही करवाई गई है गलत रूप से रिपोर्ट करके पेश की गई है एवं अप्रार्थी के विरूद्व सम्पूर्ण कार्यवाही में कोई एकतरफा कार्यवाही का आदेश नही फरमाया है उसके बावजूद उक्त निर्णय का बहस पारित किया है। उपरोक्त मुकदमें में राजनैतिक आधार पर कुछ जाति विषेश के व्यक्तियो द्वारा मृतक घासीराम खातेदार के नाम से झूठा प्रार्थना पत्र पेश करवाया गया तथा अन्य व्यक्ति को बतौर घासीराम के पेश कर ब्यान दर्ज करवा दिये गये जबकि सरपंच ग्राम पंचायत परसरामपुरा के प्रमाण पत्र के आधार पर खातेदार दडकली व उसके पुत्र घासीराम का स्वर्गवास काफी अर्से पूर्व हो चुका था। ऐसी स्थिति में उक्त मृतक खातेदार की ओर से तमाम कार्यवाही फर्जी तौर पर कुछ जाति विशेष के लोगो द्वारा राजनैतिक द्वैषता के कारण करवाई गई है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर गलत आदेश पारित किया है। प्रार्थी उक्त विवादित भूमि पर शिकायत दर्ज होने के काफी अर्से पूर्व से काबिज है तथा पुख्ता मानात बनाकर मय परिवार के आबाद है। उसको उक्त गलत व गैरकानूनी कार्यवाही के तहत बेदखल किये जाने से काफी नुकसान होगा। प्रार्थी बर्बाद हो जायेगा। यह कि प्रार्थी अनपढ़ व गरीब व्यक्ति है जिसको कानून की कोई जानकारी जैर प्रार्थी के विरूद्व की गई फौजदारी की पत्रावली में झुंझुनूं में वकील साहब से दिनांक 10.03.2014 को सम्पर्क कर राय पुछने पर प्रार्थी को बताया गया की उसके विरूद्व तहसीलदार जी नवलगढ द्वारा आदेश दिनांक 04.01.2003 को पारित किया गया था उसके तहत यह सम्पूर्ण फौजदारी कार्यवाही उसके विरूद्ध की गई है जिसके विरूद्ध कोई अपील पेश नही की गई है जो की आवश्यक थी इसलिये उक्त आदेश दिनांक 04.01.2003 की प्रार्थी ने दिनांक 11.03.2014 को नकल प्राप्त की तब सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। प्रार्थी को उक्त तमाम कार्यवाही व आदेश तहसीलदार जी नवलगढ की जानकारी दिनांक 11.03.2014 को होने के कारण से अपील अपीलांट अन्दर मियाद पेश है। यदि किसी कानूनी कमी के कारण प्रार्थी अपीलांट की अपील को अन्दर मियाद नहीं शुमार किया जाता है तो प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी के समय को माफ करने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। जिसका फायदा दिया जाकर के अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अतः अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर के अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जी नवलगढ का आदेश दिनांक 04.01.2003 को निरस्त फरमाया जाकर विधि अनुकुल कार्यवाही हेतु प्रार्थी अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.02 17:09:54 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान वकील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट फौजदारी मुकदमे मे बरी हो गया है। मौके पर विवादित भूमि पर 73 व्यक्ति काबिज है। अपीलान्ट के विरूद्व अकेले के विरुद्ध राजनैतिक कारणों अदालत मातहत द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है। विवादित भूमि की किस्म सिवायचक है जो कि सरकारी भूमि की श्रेणी मे आती है। अपीलान्ट के अलावा अन्य लोग भी विवादित भूमि मे बसे हुए है। उक्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की नही है। अपीलान्ट को उक्त भूमि का पट्टा दिया जाना न्यायोंचित है। अतः अपील अपीलान्टअदालत मातहत का आदेश दिनांक 04.01.2003 को निरस्त फरमाया जाने की कृपा करें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश बाद जांच पारित किया गया है जिसमे कोई कानूनी त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन है जो निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया अवलोकन से निम्न तथ्य उजागर हुये है यथा :-

1. अपीलार्थी का प्रथम तर्क यह है कि वर्तमान में जमीन आबादी की है, जिसमें उसका कब्जा है व मकान बना कर आबाद है। अदालत मातहत द्वारा जब अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 183 (बी) के तहत कार्यवाही की गई थी, तत्समय तहसीलदार नवलगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 04.01.2003 तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 03.06.2002 में भूमि की खातेदारी अनुसुचित व्यक्ति के नाम से दर्ज होना बताया है। अपीलार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है। जो प्रकरण का मुख्य आधार है।
2. अपीलार्थी का दुसरा तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत ने जिस प्रार्थी घासीराम के प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत कार्यवाही की है, उक्त घासीराम को देहान्त बहुत पहले हो चुका है। अदालत मातहत द्वारा राजनैतिक दबाब में अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही की है। यदि अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार भी कर लिया जाता है तो तहसीलदार नवलगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 04.01.2003 में विवादित भूमि को अनुसुचित जाति के व्यक्ति की भूमि मानी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183(बी) के अनुसार *" वह अतिक्रमी जिसने कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है या कब्जा बनाया रखा है, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के आवेदन पर,(या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी लोक सेवक के विहित रीति से आवेदन करने पर) जो कि उसे*

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.02 17:09:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

बेदखल कराने के हकदार हों, बेदखली का दायी होगा और प्रत्येक उस कृषि वर्ष के लिए अथवा उसके भाग के लिए जिसमें कि वह ऐसे कब्जे में रहा है, शास्ति के रूप में ऐसी राशि देने का और दायी होगा जो कि वार्षिक लगान से (पचास गुना) तक हो सकेगी।' अतः उक्त धारा के तहत अपीलार्थी का तर्क विधिसम्मत् नहीं है क्योकि भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की थी, जिसको अपीलार्थी ने भी इन्कार नहीं किया है।

अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि का अधिकार अन्य किसी जाति वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा बिना विधि पूर्ण तरीके से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर किया गया कब्जा या कब्जे को लम्बे समय तक बनाये रखना वैध नहीं माना जा सकता। फिर चाहे उस अतिकमी के विरूद्ध आवेदन निजी व्यक्ति करें या धारा के अनुसार राज्य सरकार स्वयं अतिकमी को हटाने की कार्यवाही करें, वह न्यायोचित मानी जावेगी। उक्त समस्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये हम अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अदालत मातहत को मय रिकार्ड के प्रेषित कर तहसीलदार नवगलढ़ को आदेशित किया जाता है कि अतिकमी का कब्जा हटाने की कार्यवाही करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.02 17:09:54 IST
Reason: SelfAttested